न्यायालय-सत्र न्यायाधीश, भदोही।

उपस्थित- श्री अखिलेश दूबे

(एच०जे०एस०)

JO Code No.-UP 5725

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-16 सन् 2026

CNR NO.UPSN01-000184-2026

1. रामधनी पाल उम्र त० 65 साल पुत्र पुनवासी पाल
2. सभापति पाल उम्र त० 40 साल
3. राकेश पाल उम्र त० 35 साल
4. विकास पाल उम्र त० 18 साल पुत्र राजपति पाल
5. ओमप्रकाश उम्र त० 19 साल पुत्र सभापति
6. रानी उम्र त० 30 साल पत्नी राकेश
7. सुनीता देवी पत्नी राजपति
8. शिवदेवी उम्र त० 35 साल पत्नी सभापति
9. जयदेवी उम्र त० 60 साल पत्नी रामधनी

निवासीगण ग्राम चककहुआ थाना सुरियावां जिला भदोही।

............पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. श्रीनाथ उम्र त० 65 साल पुत्र चिखुरी पाल निवासी ग्राम चककहुआ थाना सुरियावां जिला भदोही। ....विपक्षी/परिवादी।

निर्णय

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण न्यायालय अपर सिविल जज (सी० डि०)द्वितीय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर द्वारा परिवाद संख्या 23279 सन् 2024 श्रीनाथ बनाम रामधनी पाल आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित-05.02.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्तागण को धारा- 352, 427 भारतीय दण्ड संहिता में विचारण हेतु तलब किया है।

2. परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये अभिकथन संक्षेप में, इस प्रकार है कि विपक्षीगण रामधनी पाल पुत्र पुनवासी पाल, सभापति पाल व राकेश पाल पुत्रगण रामधनी पाल तथा विकास पाल पुत्र राजपति पाल, ओम प्रकाश पुत्र सभापति, रानी पत्नी राकेश, सुनीता देवी पत्नी राजपति, शिवदेवी पत्नी सभापति, जय देवी पत्नी रामधनी निवासीगण चककहुआ, पोस्ट व थाना सुरियावां, जनपद भदोही जो दबंग व सरहंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिनकी एक नाजायज गोल है। दबंगई के बल पर प्रार्थी की भूमिधरी जमीन को विपक्षीगण राय जबरजस्ती हड़पना चाह रहे थे, तो प्रार्थी न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) भदोही के यहां नम्बर मुकदमा 982 सन् 2023

ई० श्रीनाथ बनाम रामधनी पाल आदि करके दाखिल किया, जिसमें न्यायालय से स्टे आदेश भी दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति उक्त जमीन में किसी भी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं करेगा, परन्तु विपक्षीगण एक राय होकर प्रार्थी के उक्त जमीन को कब्जा करने की नीयत से नॉद, खूंटा, चरनी आदि सामान रखकर कब्जा करना चाहते थे। प्रार्थी के मना करने पर मां, बहन की भद्दी–भद्दी गाली–गुप्ता देते हुए लाठी–डंडा लेकर मारपीट पर अमादा हो गये व धमकी दिये कि यहां से तुम लोग भाग जाओ यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, नहीं तो तुम्हें यहीं मारकर खत्म कर देगें, उन्होंने पुलिस को मिला लिया है उनका कोई कुछ नहीं कर पायेगा। दावा दाखिल करने के बाद अमीन मौके पर गये और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में व नक्शा में प्रार्थी के मड़हे का जिक्र किया है। प्रार्थी का मड़हा दावा दाखिल करने के अरसा कई साल पूर्व से विद्यमान है। विपक्षीगण काफी रुपये पैसे वाले दबंग सरहंग, भू–माफिया किस्म के लोग हैं, उनकी एक नाजायज गोल है। विपक्षीगण दबंगई के बल पर प्रार्थी की जमीन को हड़पना चाहते हैं जबकि विपक्षी रामधनी ने एक किता दावा सी०डि० भदोही के यहाँ दाखिल किया था, जिसमें उन्होनें अपना कब्जा खड़न्जा के उत्तर तरफ होना जाहिर किया था, जो कि विवादित आराजी से उत्तर तरफ लगभग 100 मीटर दूर है। वहां कब्जा करने के बाद उक्त मुकदमा छोड़ दिये उसी आराजी को विपक्षीगण रामधनी अपनी भूमिधरी कहते हैं और उनका लड़का राकेश कुमार अपना पट्टा भी कहता है और जाली फर्जी कार्यवाही कर व कराकर उसी में पट्टे के द्वारा फर्जी नाम दर्ज करा लिये है। अब प्रार्थी की जमीन को अपना पट्टा कह करके हड़पना चाहते हैं। एक व्यक्ति की भूमिधरी आराजी एक ही नम्बर में एक ही जगह भूमिधरी व पट्टा नहीं मिल सकती, जितनी आराजी उन्होनें बैनामा कराया था, उतना उन्होंने दावा करके उत्तर तरफ ले लिया है। अब रुपये– पैसे के बल पर शासन को गुमराह करके प्रार्थी की भूमिधरी आराजी को जबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। इसी उद्देश्य से उन लोगों ने रात्रि में प्रार्थी के पुराने मड़हे के पश्चिमी दीवाल को जबरजस्ती गिरा दिया। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने 13.09.2023 को प्रार्थना पत्र दिया। मड़हा उजाड़ने व पश्चिमी दीवाल गिराने से प्रार्थी का लगभग दो हजार रुपये का नुकसान हुआ है। प्रार्थी के दरख्वास्त पर विपक्षीगण सभापति व राजपति व राकेश के खिलाफ 151, 107, 116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत चालान किया गया था और विपक्षीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने से उनका मनोबल काफी बढ़ गया, जिससे वे लोग दिनांक 04.01.2024 को समय करीब 7:30 सुबह जब बारिश हो रही थी और पानी टपक रहा था जिससे प्रार्थी के मवेशियान भीग रहे थे, तो प्रार्थी उस पर प्लास्टिक डाल रहा था। इतने पर विपक्षीगण एक राय होकर आये और प्रार्थी को भद्दी–भद्दी गालिया देते हुए प्रार्थी के मड़हे को उजाड़ दिये। प्रार्थी ने घटना की सूचना 112 पर फोन कर पुलिस को दिया तब थाना सुरियावां की पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया। प्रार्थी व विपक्षीगण को धारा 151, 107, 116 Cr.p.c. के अन्तर्गत चालान कर दिया, विपक्षीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने से उनका मनोबल काफी बढ़ गया है और वे आये दिन प्रार्थी को

जान माल की धमकी दे रहे हैं कि मड़हा छोड़कर हट जाओ नहीं तो तुम्हें जान से मारकर खत्म कर देगें। उक्त घटना मड़हा उजाड़ने की मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग भी किया गया है जिसकी सी०डी० प्रार्थी के पास मौजूद है। राकेश के पिता उसी आराजी को उत्तर तरफ भूमिधरी करके दावा दाखिल करके कब्जा प्राप्त करते है, दक्षिण तरफ प्रार्थी की बैनामासुदा भूमिधरी आराजी है तो बीच में ग्रामसमाज की जमीन कैसे हो सकती है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण राकेश वगैरह ने जाली फर्जी कार्यवाही करके विवादित आराजी को अपना पट्टा कहते है जिससे स्पष्ट है कि पट्टे की सारी कार्यवाही फर्जी तौर पर की व करायी गयी है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में तमाम शिकायती प्रार्थना पत्र समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उ०प्र० व रजिस्टर्ड डॉक से सम्बन्धित विभाग को भेजा व दिनाक 06.01.2024 ई0 को पुलिस अधीक्षक भदोही को जरिये रजिस्टर्ड डॉक दिया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में दिया गया, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश दिनांक 24.05.2024 से परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

3. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा–200 दं० प्र० सं० दर्ज कराया तथा धारा– 202 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत पी० डब्लू०–1 छांगुर पाल व पी० डब्लू०–2 अमृत लाल को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, भदोही को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद, जनसुनवाई आवेदन पत्र की छायाप्रति, मुख्यमंत्री उ० प्र० सरकार को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, जिलाधिकारी भदोही को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व अन्य दस्तावेजीय प्रपत्र दाखिल किया। तत्पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दिनांक 05.02.2025 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजीय व मौखिक साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत यह आदेश पारित किया कि बयान 200 दं० प्र० सं० व धारा– 202 दं० प्र० सं० और पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त विपक्षीगण रामधनी पाल, सभापति पाल, राकेश पाल, विकास पाल, ओम प्रकाश, रानी, सुनीता देवी, जयदेवी पत्नी सभापति व जयदेवी पत्नी रामधनी के विरुद्ध धारा 352, 427 भा० दं० सं० का प्रथम दृष्टया अपराध बनना साबित होना पाते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को धारा–352, 427 भा० दं० सं० में तलब किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित की गयी है।

4. पुनरीक्षणकर्तीगण की ओर से आधार पुनरीक्षण में कहा गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद कथन एवं प्रारम्भिक जांच में परिवादी एवं साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–200 व 202 दं० प्र० सं० परस्पर विरोधी होने के बावजूद अवैधानिक रूप से प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.02.2025 पारित किया गया है, जो कायम रहने योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश दिनांक 05.02.2025 अनुचित रूप से विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। परिवाद में स्वीकृत रूप से परिवादी एवं निगरानीकर्तागण के बीच सम्पत्ति सम्बन्धी

विवाद होना स्वीकार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में दीवानी वाद विचाराधीन होने के कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वयं सिद्ध था कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय को ऐसे परिवाद में प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने के बजाय वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा पारित अभिमत के अनुसार परिवाद निरस्त के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाना उचित था। गाटा सं० 4 में कई बटा हैं तथा जिस बटा में घटना में प्रश्नगत मड़हा उजाड़ने का कथन परिवादी विपक्षी द्वारा कहा गया है, उसमें अभियुक्तगण/निगरानीकर्ता संख्या 1 का नाम अंकित है तथा उसका मड़हा भी उसी भूमि में स्थित है, जिसकी प्लास्टिक की पन्नी पुरानी हो जाने के कारण उसको हटाकर नई पन्नी डालकर जानवरों के रहने के योग्य बनाया जाना कोई अपराध नहीं था। इसके अतिरिक्त परिवाद कथन तथा साक्षीगण एवं परिवादी के कथन विरोधाभाषी होने के बावजूद अपनी कल्पना से धारा–352 भा० दं० सं० में तलब किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं था , किन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर धारा–352 भा० दं० सं० को जोड़कर उसमें तलबी आदेश पारित कर दिया। परिवाद में अंकित पुनरीक्षणकर्तागण की आयु में माता एवं पुत्र तथा पति एवं पत्नी की आयु के सम्बन्ध में अंकन बिल्कुल गलत होने के बावजूद विद्वान अवर न्यायालय द्वारा ऐसे परिवाद कथन को विश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं था तथा तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार नहीं था। उपरोक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.02.2025 एवं परिवाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत आदेश की कोई जानकारी पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण की किसी भी रूप से नहीं हो सकी थी तथा माह नवम्बर के आखिर में न्यायालय द्वारा सम्मन भेजे जाने की जानकारी होने पर पुनरीक्षणकर्तागण ने दिनांक 01.12.2025 को अधिवक्ता से जानकारी करवाने के बाद प्रश्नगत आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिलाया तथा नकल मिलने की सूचना अधिवक्ता से मिलने पर निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाकर उसमें पारित तलबी आदेश दिनांकित 05.02.2025 निरस्त किया जाकर उचित आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

5. पुनरीक्षणकर्तीगण की ओर से सूची 11 ख से सत्य प्रतिलिपि तलबी आदेश दिनांकित 05.02.2025 द्वारा अपर सिविल जज (सी० डि०) द्वितीय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही कागज सं० 12 ख/1–3, आधार कार्ड रामधनी पाल, शिव देवी, विकास कुमार पाल, सुनीता देवी, ओमप्रकाश, जयदेवी, रानी देवी, राकेश पाल, सभापति की छायाप्रतियां कागज सं० 14 ख/1–9 व सूची 21 ख से नकल आदेश दिनांक 16.09.2025 मूलवाद सं० 982/2023 श्रीनाथ बनाम रामधनी पाल आदि न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० भदोही, कागज सं० 22 ख/1–5 दाखिल किया गया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिनुकूल नहीं है। साक्षीगण एवं परिवादी के कथन में विरोधाभाष होने के बावजूद भी प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। अतः पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए तलबी आदेश निरस्त किये जाने की याचना की गयी। इसके विपरीत प्रतिउत्तरदाता/परिवादी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध परिवादपत्र के अभिकथन , साक्षीगण के बयान व अन्य साक्ष्यों के सापेक्ष पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश में कोई अविधिकता या अनौचित्यता नहीं है, जिससे प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः पुनरीक्षण खारिज किये जाने की याचना की गयी।

8. मैंने पक्षों की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों के आलोक में पुनरीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न मूल पत्रावली में पत्रावलित परिवाद पत्र, बयान अन्तर्गत धारा–200 व 202 दं० प्र० सं० में किये गये अभिकथन/साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर विचार किया। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अपने प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.02.2025 में निष्कर्षित किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण रामधनी पाल, सभापति पाल, राकेश पाल, विकास पाल, ओमप्रकाश, रानी, सुनीता देवी, जयदेवी व शिवदेवी के विरुद्ध धारा–352 एवं 427 भा० दं० सं० का प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना पाते हुए तदानुसार अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में तलब किया।

9. मूल पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद पत्र में कथित घटना दिनांक 04.01.2024 को 07.30 बजे सुबह परिवादी के सेहन दरवाजे की कही जाती है, किन्तु परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं० प्र० सं० में कहा गया है कि घटना दिनांक 4 फरवरी की है, सन् उसे नहीं पता है। परिवाद पत्र के प्रस्तर 12 में परिवादी की ओर से पुलिस अधीक्षक को दिनांक 06.01.2024 को प्रार्थना पत्र दिये जाने का अभिकथन किया गया है। पत्रावली पर परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी० डब्लू०–1 छांगुर पाल एवं पी० डब्लू०–2 अमृतलाल ने भी घटना की तिथि के बारे में परिवादी के कथन से भिन्न कथन किया है। परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं० प्र० सं० में कहा गया है कि अभियुक्तगण राजपति, राकेश, सभापति, जयदेवी, जयदेवी, रामधनी, रानी, मुकेश अपना चक ले चुके हैं, घर पर कब्जा करना चाहते थे, सब मारने के लिए आये, उसे हांथ से धकेल दिया और उसे मारने के लिए झुके तो वह हट गया। मामले में 9 अभियुक्तों द्वारा एक व्यक्ति परिवादी को धकेलने की बात कही जाती है, जो सामान्य रूप से स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है। परिवाद पत्र के पैरा 7 में विपक्षीगण/पुनरीक्षणकर्तागण

का एकराय होकर गाली देते हुए मड़हा उजाड़ने का कथन है। पी० डब्लू०–1 छांगुर पाल के बयान में आया है कि रंजिशवश विपक्षीगण रामधनी, रमापति, राकेश, विकास, ओमप्रकाश, रानी, सुनीता, जयदेवी पत्नी सभापति व जयदेवी पत्नी रामधनी परिवादी के दरवाजे पर चढ़कर गाली–गलौज करने लगे, मना करने पर लात–घूसा से मारपीट किये। साक्षी पी० डब्लू०–2 अमृत लाल के बयान में आया है कि झगड़ा दिनांक 04.01.2024 को सुबह साढ़े सात बजे की है। अभियुक्तगण रामधनी, सभापति, राकेश पाल, विकास, रानी, सुनीता देवी, जयदेवी पत्नी सभापति व जयदेवी पत्नी रामधनी एक राय होकर परिवादी के दरवाजे पर चढ़ आये और मां–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देने लगे। गाली देने से मना करने पर लात–घूसा से मारे–पीटे और जान माल की धमकी दिये तथा परिवादी की मड़हा उजाड़ दिये। इस प्रकार जहां परिवादी ने 9 अभियुक्तगण द्वारा मात्र मारने के लिए झुकना बताया, वहीं परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा परिवादी के साथ लात–घूसा से मारपीट करना व जानमाल की धमकी देना अपने साक्ष्य में कहा गया है।

10. इस प्रकार विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद पत्र में किये गये अभिकथन, परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 दं० प्र० सं० व परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयानात अन्तर्गत धारा–202 दं० प्र० सं० का अवलोकन किये बिना ही पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण को धारा–352 एवं 427 भा० दं० सं० में विचारण हेतु आहूत किया गया है। यदि प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से पत्रावली का अवलोकन किया गया होता तो प्रश्नगत आदेश में उक्त तथ्यों का विश्लेषण अवश्य किया गया होता। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय परिवाद पत्र एवं बयान अन्तर्गत धारा–200 व 202 दं० प्र० सं० का सम्यक अवलोकन न किया जाना विधि विरुद्ध है, जबकि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रश्नगत आदेश पारित करते समय परिवाद पत्र के कथानक एवं बयानात गवाहान एवं अन्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया जाना चाहिए। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ऐसा न करके विधिक त्रुटि कारित की गयी है।

11. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिनुकूल न होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। तदनुसार विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि के प्रतिकूल (Perverse) प्रतीत होता है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता के निगरानी में बल है, निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

12. यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.02.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट

न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित की जाती है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात परिवाद पत्र में किये गये अभिकथन तथा उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात पुनः विधिनुकूल आदेश पारित करें।

दिनांक–09.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
J.O.Code No.–UP 5725

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा सुनाया गया।

दिनांक–09.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
J.O.Code No.–UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.09 16:48:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court